

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
बुधवार, 13 जुलाई, 2005/आषाढ़ 22, 1927(शक)

सं. 103

विषय : सदस्यों की नजरबंदी व रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित,  
एस. एच. ओ., गोकल पुरी, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

“मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, श्री साहब सिंह चौहान एवं श्री मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत भजन पुरा चौक, दिल्ली से दिनांक 09.07.2005 को 0900 बजे नजरबंद किया गया।

उन्हें, उसी दिन एवं उसी स्थान से 1025 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव  
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT  
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)  
Wednesday 13<sup>th</sup> July, 2005/22 Ashadha 1927 (Saka)

No. 103

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, Gokal Puri, Delhi:

"I have the honour to inform you that Shri Sahab Singh Chauhan alongwith Shri Mohan Singh Bisht, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 from Bhajan Pura Chowk, Delhi at 0900 Hrs. on 9.7.2005.

They were released at 1025 Hrs. from the same place and same date."

152

SIDDHARATH RAO  
Secretary